मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

/ / आदेश / /

क्रमांक ई एफ 1/ 1/ सात4/ 1032 भोपाल दिनांक 13/ 08/ 2025

प्रति,

जिला कलेक्टर,

जबलपुर, रतलाम, सिवनी, उमरिया, शहडोल, सतना, नरसिंहपुर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, खंडवा, बालाघाट, भोपाल, मंदसौर, धार, भिंड, देवास, कटनी, मंडला, रीवा, सिंगरौली, ग्वालियर, खरगौन, राजगढ़, इंदौर।

विषय-: **राजस्व न्यायालयों से संबधित कार्यो के नियमित संचालन हेतु ।**

संदर्भ-:

1. मंत्री परिषद के आयटम क्रमांक-1 दिनाकं 3 जून 2025, के निर्णय ।

2. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 15/07/2025, 21/07/2025, 22/07/2025, 24/07/2025, 05/08/2025, 11/08/2025

3. मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ के ज्ञापन क्रंमाक 9/2025, दिनांक 06/08/2025

--0--

विषयांतर्गत राजस्व अधिकारियो के अन्य कार्यो में व्यस्तता के कारण राजस्व न्यायालय का कार्य प्रभावित होता है। राजस्व न्यायालय से संबधित कार्य जैसे कि प्रकरणों का ग्राह्य किया जाना, प्रकरणों में सुनवाई, प्रकरणों में आदेश पारित एवं अमल होने मे विलम्ब होते है। अत: मंत्रि-परिषद के आयटम क्रमांक-1 दिनाकं 3 जून 2025 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राजस्व न्यायालय हेतु समर्पित अधिकारी होगें। इस निर्णय के क्रम मे संदर्भित आदेशों से यह व्यवस्था 24 जिलों मे लागू की गयी है। इस बारे मे दिनांक 07/08/2025 को समस्त कलेक्टर्स के साथ संपन्न Virtual Conference में प्राप्त फीडबैक और संघ के ज्ञापन दिनांक 06/08/25 मे उल्लेखों के संर्दभ मे यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्व अधिकारियो का दो भाग मे विभाजन नहीं किया गया है, बल्कि राजस्व न्यायालयों के समुचित एवं नियमित संचालन के लिए कार्य विभाजन की कार्यवाही है। साथ ही निम्नानुसार तथ्य स्पष्ट किये जाते हैं।

I. **जिला कलेक्टर प्रत्येक राजस्व न्यायालय का समस्त कार्य-दिवसों में संचालन किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगें।**

II. जिला कलेक्टर पूर्व की भांति ही, किसी भी समय राजस्व अधिकारियो के मध्य कार्य का अंतरण कर सकते है।

III. जिला कलेक्टर आवश्कतानुसार जिलों मे पदस्थ राजस्व अधिकारियो के मध्य कार्य विभाजन, कार्य क्षेत्र का विभाजन इस तरह कर सकेगें कि किसी भी राजस्व न्यायालय तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के कार्य हेतु कोई विशेष अधिकारी लंबे समय तक एक ही प्रकार के कार्य के लिए चिन्हित ना हो जिससे जिले मे पदस्थ सभी राजस्व अधिकारियो को राजस्व न्यायालय तथा गैर राजस्व न्यायालय दोनो ही कार्यो का बारी बारी से उचित अवसर प्रदान किया जा सके ।

IV. जिला कलेक्टर को यह भी सुझाव दिया जाता है कि जिला कलेक्टर स्थानीय परिस्थियों के अनुसार राजस्व अधिकारियों के मध्य रोस्टेरिनग काल (Rostering period) को तय करें।

V. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 15/07/2025, 21/07/2025, 22/07/2025,24/07/2025,05/08/2025,11/08/2025 से प्रसारित शेष निर्देश यथावत रहेगें।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रं ई एफ 1/1/सात 4/1033 भोपाल दिनांक 13/ 08/ 2025

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय राजस्व मंत्री जी मध्यप्रदेश ।
2. सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग वल्लभ भवन भोपाल ।
3. कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. आयुक्त, भू-अभिलेख ग्वालियर।
5. आयुक्त ....संभाग...............म.प्र।
6. समस्त कलेक्टर की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग